आनन्द कुमार त्रिपाठी
सहायक प्रोफेसर (इतिहास)
रोहतास महिला कॉलेज, सासाराम

बी० ए० (प्रतिष्ठा-इतिहास), तृतीय वर्ष
प्रश्नपत्र - VI

"औपनिवेशिक भारत में भूमि व्यवस्था एवं भू-राजस्व नीति"

प्रस्तावना :

अंग्रेजों ने भारतीय कृषि के क्षेत्र में भूमि व्यवस्था व भू-राजस्व के अन्तर्गत व्यापक परिवर्तन किया। इन्होंने अनेक भू-धृति पद्धतियाँ (Land Tenure System) लागू की जिनमें मुख्य थीं- स्थायी या जमींदारी, महालवाड़ी एवं रैयतवाड़ी व्यवस्था।

स्थायी बंदोबस्त या जमींदारी प्रथा :

इस व्यवस्था को जागीरदारी, मालगुजारी व बीसवेदारी नाम से भी जाना जाता है। इस व्यवस्था को लागू किये जाने से पूर्व सरकार (ब्रिटिश) के समक्ष यह समस्या थी कि भारत में कृषि योग्य भूमि का मालिक किसे माना जाय, सरकार राजस्व चुकाने के लिए अन्तिम रूप से उत्तरदायी बनाये तथा उपज में से सरकार का हिस्सा कितना हो। वारेन हेस्टिंग्स ने अपना विचार व्यक्त करते हुए कहा था कि किसानों से लगान वसूल करने के बदले में जमींदारों के पास कुछ कमीशन प्राप्त करने का अधिकार हो। परन्तु हेस्टिंग्स की यह पद्धति असफल रही। 1772 में हेस्टिंग्स ने पंचवर्षीय बंदोबस्त चलाया। 1776 में इस व्यवस्था को भी त्याग दिया गया। 1786 में कार्नवालिस बंगाल का गवर्नर जनरल बना। उसने जेम्स ग्राण्ट एवं सर जॉन शोर से नवीन लगान व्यवस्था पर विचार विमर्श किया। 1790 में कार्नवालिस ने दसवर्षीय व्यवस्था को लागू किया। 1793 ई० में इस व्यवस्था को बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा में स्थायी कर दिया गया और कालान्तर में इसे उत्तर प्रदेश के बनारस खण्ड एवं उत्तरी कर्नाटक में भी लागू किया गया। स्थायी भूमिकर व्यवस्था तत्कालीन ब्रिटिश भारत की लगभग 19% भूमि पर लागू की गई। सर्वप्रथम यह व्यवस्था बंगाल में लागू की गई। व्यवस्था के अन्तर्गत जमींदारों से मालगुजारी के रूप में एक निश्चित आय हमेशा के लिए निश्चित कर ली जाती थी। जमींदार किसान से वसूले गये लगान का 10/11 भाग जमींदारी कोष (सरकारीकोष) में जमा करता था। शेष 1/11 भाग अपने खर्च, पश्चिम व दायित्व के लिए अपने पास रख लेता था। जमींदारों द्वारा निश्चित समय में सरकारी खजाने में लगान न जमा करने पर भूमि को नीलाम कर दिया जाता था। दैवीय प्रकोप के समय लगान की दर में कोई रियायत नहीं दी जाती थी। लगान की दर बढ़ाने का अधिकार सरकार के पास नहीं था, परन्तु जमींदार इसमें वृद्धि कर सकता था।

Scanned with CamScanner

जमींदार भूमि को बेच सकता था और रेहन व दान में दे सकता था। कम्पनी सरकार द्वारा इस व्यवस्था को लागू करने के पीछे अनेक कारण थे। जैसे सरकार एक निश्चित तथा स्थायी आय प्राप्त करना चाहती थी। वह लगान वसूली पर समय तथा पैसा नहीं खर्च करना चाहती थी। कम्पनी इस व्यवस्था द्वारा सशक्त जमींदारों को अपना समर्थक बनाना चाहती थी। इस व्यवस्था से यह अपेक्षा की गई कि इससे कृषि विकास के क्षेत्र में क्रान्तिकारी परिवर्तन होगा। इसके साथ ही कम्पनी के पास योग्य कर्मचारियों एवं भूमि के सन्दर्भ में पर्याप्त ज्ञान का अभाव था इसलिए भी ऐसी किसी व्यवस्था को लागू करना अनिवार्य हो गया था।

इस व्यवस्था से कम्पनी को अनेक लाभ हुए। इससे कम्पनी के लोगों के आर्थिक विकास एवं हितों की रक्षा हुई। इससे राज्य को एक निश्चित आय, निश्चित समय पर प्राप्त हो जाती थी, चाहे पैदावार हो या ना हो। यदि कोई जमींदार लगान अदा करने में असमर्थ रहा हो तो उसकी भूमि के एक टुकड़े को बेचकर सरकार लगान के बराबर आय प्राप्त कर लेती थी। जमींदार कृषि उन्नति की ओर अधिक ध्यान देने लगा था क्योंकि उसे सरकार को एक निश्चित हिस्सा देना पड़ता था तथा शेष अधिशेष पर उसका व्यक्तिगत अधिकार होता था। कम्पनी सरकार को 1857 के विद्रोह में जमींदार वर्ग का पूरा सहयोग प्राप्त हुआ। कम्पनी का वह धन अब खर्च होने से बच रहा था, जिसे वह लगान वसूली के माध्यम से अपने कर्मचारियों पर खर्च करती थी।

Scanned with CamScanner